भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1601

जिसका उत्तर दिनांक 03.08.2023 को दिया जाना है

डीएई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की स्थिति

1601 श्री अबीर रंजन बिस्वास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीएई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अंतर्गत श्रेणी-वार और राज्य-वार कुल कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएचएसएस के अंतर्गत श्रेणी-वार और राज्य-वार कुल कितनी प्रीमियम राशि एकत्र की गई है और कुल कितने दावों का निपटान किया गया है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएचएसएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों और प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन की श्रेणी-वार और राज्य-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) से (घ) अनुलग्नक संलग्न है।

* * * * *

अनुलग्नक

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	कुल (सभी इकाइयों सहित)
		@ विभिन्न श्रेणियां नहीं है लेकिन वेतन का 1% सभी लाभार्थियों से अंशदान के रूप में वसूल किया जाता है।
(क)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में, डीएई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अधीन शामिल कुल लाभार्थियों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या	**<u>2,06,199</u>** (तमिलनाडु - 33184) (ओडिशा - 3140) (गुजरात - 7378) (तेलंगाना - 26999) (महाराष्ट्र - 103995) (राजस्थान - 16021) (मेघालय - 236) (झारखंड - 580) (कर्नाटक-बंगलुरु - 8535) (हरियाणा - 528) (उत्तर प्रदेश - 5603)
(ख)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सीएचएसएस के अंतर्गत कुल एकत्रित प्रीमियम राशि और कुल निपटाए गए दावों का श्रेणी-वार और राज्य-वार विवरण	**<u>सीएचएसएस अंशदान -</u>** **<u>रूपए 49,43,94,689</u>/-** (तमिलनाडु - 11,57,36,799/-) (ओडिशा - 1,36,26,000/-) (गुजरात - 2,29,33,474/-) (तेलंगाना - 9,82,11,814/-) (महाराष्ट्र - 16,67,02,000/-) (राजस्थान - 3,98,82,506/-) (मेघालय - 9,07,627/-) (झारखंड - 24,46,109/-) (कर्नाटक - 2,19,48,360/-) (हरियाणा - 15,00, 000/-) (उत्तर प्रदेश) - 1,05,00,000/-) **<u>निपटाए गए दावे - रूपए 383,52,98,051/-</u>** (तमिलनाडु - 83,26,65,829/-) (ओडिशा - 5,13,85,507/-) (गुजरात - 28,81,32,892-) (तेलंगाना - 66,42,43,588/-) (महाराष्ट्र - 137,45,82,458/-) (राजस्थान - 14,55,18,348/-) (मेघालय - 24,39,820/-) (झारखंड - 22,51,945/-) (कर्नाटक - 13,34,84,489/-) (हरियाणा - 1,05,93,175/-) (उत्तर प्रदेश - 33,00,00,000/-)

(ग)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सीएचएसएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों और प्राधिकृत चिकित्सकों की श्रेणी-वार और राज्य-वार संख्या	**पैनलबद्ध अस्पताल - 320** (तमिलनाडु - 59) (ओडिशा - 7) (गुजरात - 22) (तेलंगाना - 83) (महाराष्ट्र - 37) (राजस्थान - 39) (मेघालय - 7) (झारखंड - 6) (कर्नाटक - 14) (हरियाणा - 19) (उत्तर प्रदेश - 27) **प्राधिकृत चिकित्सक - 189** (तमिलनाडु - 26) (गुजरात - 1) (तेलंगाना - 92) (महाराष्ट्र - 14) (राजस्थान - 10) (झारखंड - 3) (उत्तर प्रदेश - 39) (ओडिशा - 4) - विशेषज्ञ चिकित्सक
(घ)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में, सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन की श्रेणी-वार और राज्य-वार स्थिति	लागू नहीं